

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, भा0प्र0से0,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

समाहर्ता,
गया।

फैक्स/
ई-मेल

पटना-15, दिनांक-

विषय :- मुख्य शीर्ष 2029-भू राजस्व 104-सरकारी संपदाओं का प्रबन्ध-0001-राजस्व प्रशासन पर व्यय माँग संख्या-40 विपत्र कोड 40-2029001040001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 3302 मुआवजा मद में कुल 5,00,000/- (पाँच लाख) रूपया मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-510(7) दिनांक-13.07.2017 के आलोक में CWJC No-14307/2008 धर्मेन्द्र कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु समाहर्ता गया को विषय शीर्ष-3302 मुआवजा मद में कुल 5,00,000/- (पाँच लाख) रूपया मात्र आवंटित की जाती है।

2. राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में की जायेगी।
3. राशि की निकासी के समय विपत्र पर इकाई का कोड माँग संख्या एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।
4. राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 वि0 (2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में किया जा रहा है।
5. राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ अगले महीने के 7 वीं तारीख तक निश्चित रूप से भेज दी जाय।
6. इसकी सूचना महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के अपर सचिव।


ज्ञापांक-...../रा0, पटना-15, दिनांक-.....
प्रतिलिपि :-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना /महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,
पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-...../रा0, पटना-15, दिनांक-.....
प्रतिलिपि :-वित्त विभाग (बजट) बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा-7/सम्बन्धित
कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :- 21 (S)/रा0, पटना-15, दिनांक :- 19-07-17.....
प्रतिलिपि :- विभागीय आई0 टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के अपर सचिव।